न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 4/2021

पवन कुमार पुत्र श्री धन्नाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
2. हरिराम पुत्र जगदीश, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. श्रवण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. लीला पत्नि श्रवण कुमार, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. प्रियंका कुमारी पत्नि जगदीश, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. मुरारी पुत्र जगदीश, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. मनोज कुमार पुत्र श्रवण कुमार, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. बनवारी पुत्र बंशीधर, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. सुमित्रा पत्नि बनवारी, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. पंकज कुमारी पुत्री बनवारी, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. सुरेश पुत्र बंशीधर, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. विमला पत्नि सुरेश, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. राजा पुत्र सुरेश, निवासी वार्ड नं0 4, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. मनोज देवी पत्नि मुरारी लाल, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।
15. संजय कुमार पुत्र श्रवण कुमार, निवासी वार्ड नं0 2, मण्डावा, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील अन्तर्गत नगर पालिका अधिनियम 2009 अपील खिलाफ आदेश निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर नगर पालिका मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची से नाम हटवाने बाबत।

––

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट– [illegible] की ओर से उपस्थित।
2. श्री विक्रम दूलड, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत [illegible] व 12 लगायत 15 उपस्थित नही।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 11 की सम्यक तलबी पेश नही करने पर दिनांक 18.04.2022 को एक्सपार्टी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 15:30:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

आदेश

दिनांक 02.05.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर नगर पालिका मण्डावा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील अपीलान्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 15 का नाम नगर पालिका मण्डावा के वार्ड सं0 4 की मतदाता सूची मे यथावत रखने का आदेश पारित किया है इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि आदेश जैर बहस खिलाफ कानून है। नगर पालिका मण्डावा की अन्तिम प्रकाशन चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 मे कुछ दूसरे वार्डो के नाम वार्ड नं0 4 मे राजनैतिक दबाव से दर्ज कर दिये है जो गलत है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 7 व रेस्पोडेन्ट सं0 14 व 15 वार्ड नं0 2 के स्थायी निवासी है तथा पक्के मकान बनाकर सपरिवार मण्डावा के वार्ड नं0 2 मे भूमि खसरा नं0 651 जो फतेहपुर झुंझुनूं बाईपास रोड के पश्चिम मे स्थित है, पर स्थायी निवास करते है। रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 का नाम वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची मे कम सं0 351, 352, 357, 358, 547, 548 पर दर्ज किया गया है, गलत है। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 ग्राम डाबडी, पंचायत समिति दीनवा लाडखानी, जिला सीकर के स्थायी निवासी है तथा उक्त सभी रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 का नाम ग्राम पंचायत दीनवा लाडखानी, तहसील फतेहपुर के वार्ड नं0 4 मे पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 मे कम सं0 290, 291, 292, 293 पर दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 10 रेस्पोडेन्ट सं0 8 के जायन्दा संतान है जिनकी नाम अवैध रूप से मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची मे समिम्मलित किया गया है। ग्राम डाबडी मे पंचायत समिति के चुनाव सम्पन्न हो चुके है जहां पर भी रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब अवैध रूप से मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता मे गलत नाम दर्ज करवाया है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 15 का नाम नगर पालिका मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 10 व 12 लगायत 15 उपस्थित नही। बार–बार आवाज लगाई जाकर इनके विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि नगर पालिका मण्डावा की अन्तिम प्रकाशन चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 मे कुछ दूसरे वार्डो के नाम वार्ड नं0 4 मे राजनैतिक दबाव से दर्ज कर दिये है जो गलत है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 7 व रेस्पोडेन्ट सं0 14 व 15 वार्ड नं0 2 के स्थायी निवासी है तथा पक्के मकान बनाकर सपरिवार मण्डावा के वार्ड नं0 2 मे भूमि खसरा नं0 651 जो फतेहपुर झुंझुनूं बाईपास रोड के पश्चिम मे स्थित है, पर स्थायी निवास करते है। रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 का नाम वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची मे कम सं0 351, 352, 357, 358, 547, 548 पर दर्ज किया गया है, गलत है। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 ग्राम डाबडी, पंचायत समिति दीनवा लाडखानी, जिला सीकर के स्थायी निवासी है तथा उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 का नाम ग्राम पंचायत दीनवा लाडखानी, तहसील फतेहपुर के वार्ड नं0 4 मे पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 मे कम सं0 290, 291, 292, 293 पर दर्ज है। रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 10 रेस्पोडेन्ट सं0 8 के जायन्दा संतान है जिनकी नाम अवैध रूप से मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची मे समिम्मलित किया गया है। ग्राम डाबडी मे पंचायत समिति के चुनाव सम्पन्न हो चुके है जहां पर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:30 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट सं0 8 लगायत 13 ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अब अवैध रूप से मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता मे गलत नाम दर्ज करवाया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 15 का नाम नगर पालिका मण्डावा के वार्ड नं0 4 की मतदाता सूची से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने किस आदेश व आदेश दिनांक के विरूद्व अपील पेश की है क्योंकि अपील मेमो मे किसी आदेश एवं दिनांक का हवाला नही है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विद्वान राजकीय अभिभाषक का यह कथन उचित है अपीलान्ट ने जिस आदेश व आदेश दिनांक के विरूद्व अपील पेश की है उसका हवाला अपील मेमो मे नही है। ऐसे मे अपीलान्ट की अपील सारहीन है। सारहीन होने से अपीलान्ट की अपीलान्ट खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.09 16:30:30 IST
Reason: SelfAttested